दिनांक 13–09–2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थीगण को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी एवं डिफाल्ट में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त.अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26–06–2014 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)